13.04.18	वकील प्रार्थी या स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। रेस्पो.। वकील प्रार्थी या स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी ने फार्म अप्रार्थी अभिभावक उपस्थित है। अप्रार्थी ने फार्म नं. 3 के साथ RAA कोटा के निर्णय दिनांक 20.06.83 एवं जिलाधीश स.मा. के निर्णय 07.07.80 की प्रतियां पेश की जो शामिल की गई। प्रार्थी व उनके अभिभावक को बार-बार आवाजें दिलाई गई। प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	Rakesh Singh for o/p.